Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 16-08-2005

Participants : Dubey Shri Chandra Shekhar

>

Title : Need to conduct a CBI inquiry into the alleged irregularities and land encroachment committed by Sterlite Industries in construction of 675 MW captive power plant in Chhattisgarh.

श्री चन्द्र शेखर दूबे : सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह प्रतीत होता है कि इस देश की कानून व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। मेरा तात्पर्य बालको की लीज़्ड भूमि पर स्टार लाइट इंडस्ट्री द्वारा 675 MW कैप्टिव पा वर प्लांट, कोरवा छत्तीसगढ़ लगाने से है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि क्या मात्र 11 महीने में 540 MW पावर प्लांट का निर्माण हो सकता है? दूसरी हैरानी की बात यह है कि क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 50,000 हरे-भरे पेड़ काटने की अनुमति दी गई, जैसा कि बालको की रैपिड ईआईए रिपोर्ट के पेज 26 के अंतिम पैरा में उल्लेख किया गया है? पूरी जानकारी होते हुए भी स्टार लाइट इंडस्ट्री को एनओसी कैसे दिया गया?

इन 50,000 पेड़ों की पुटि स्थानीय नायब तहसीलदार चाम्बा एवं अधी.भू.अभि., रायपुर ने अपनी एक विभागीय रिपोर्ट "बालको के कब्जे की भूमि का सीमांकन प्रतिवेदन" द्वारा यह उल्लेख किया है कि "इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि बालको प्र ाबंधन द्वारा 50,000 पेड़ों की कटवाई कर ली होगी।" यही नहीं, तहसीलदार कोरवा द्वारा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्टार लाइट इंडस्ट्री ने न केवल 1036.52 एकड़ शासकीय भूमि पर बल्कि 914.31 एकड़ अर्जित की गई निजी भूमि, जिसका अभी तक लैंड डायवर्शन भी नहीं हुआ, पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया है। इन आंकड़ों से ऐसे लगता है कि स्टार लाइट इंडस्ट्री के आगे कानून नाम की कोई चीज ही मायने नहीं रखती और दूसरी ओर शासकीय एवं अर्जित की गई निजी भूमि पर अवैध कब्जा जमाने पर कई गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर चलाकर नट तो किया ही, मगर इस पूरे अवैध कब्जे से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का चूना लगाया जा रहा है। इससे लगता है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावर प्लांट लगाने की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इसके निर्माण में कौन सी, किसकी और कितनी एकड भूमि का प्रयोग किया जा रहा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि लगभग 1950 एकड़ अवैध भूमि वाले कब्जे को मुक्त कराने के साथ-साथ स्टार लाइट इंडस्ट्री के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाए और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए।